रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940
No. 863]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1171(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का आगे और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 879 (अ) दिनांक 14 सितंबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) दिनांक 13 सितंबर, 2018 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियम की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियों को आम जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से 45 दिनों की समाप्ति के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा और तदनुसार उक्त राजपत्र को दिनांक 14 सितंबर, 2018 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

और जबकि लोगों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत शक्तियों के उपयोग से केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

नियम

1. (i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(ii) ये राजकीय राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन नियम), 1959 में, दूसरी अनुसूची के भाग I में श्रेणी 'क' स्मारकों के नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम जोड़ा किया जाएगा, अर्थात्-

"6 प्रवेश शुल्क- पंद्रह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति संरक्षित स्मारक या उसके किसी हिस्से में :-

(क) द्वितीय अनुसूची के भाग I में श्रेणी 'क' के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संस्मारक में निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर प्रवेश नहीं कर सकते :-

(i) भारत के नागरिकों तथा सार्क देशों के पर्यटकों (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका), बिमस्टैक देशों के पर्यटकों (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैंड) और भारत के प्रवासी नागरिकों से निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा :-

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 35/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 40/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि दिल्ली में स्थित लाल किले के लिए, नकद रहित भुगतान के लिए 35/- रु. प्रति व्यक्ति और नकद भुगतान के लिए 50/- रु. प्रति व्यक्ति शुल्क होगा।

(ii) अन्य (उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा सभी देशों के नागरिकों के लिए) प्रभारित शुल्क :

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 550/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 600/- रु. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित देशों के नागरिकों, जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हों), के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 800/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 850/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि ताज महल के प्रमुख मकबरे (ताज महल का भाग) के लिए प्रत्येक वर्ग के पर्यटकों के लिए ताज महल के वर्तमान प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त प्रति दिन प्रति व्यक्ति 200/- रु. का प्रवेश शुल्क है, जो कि 10 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी होगा।

(ख) निम्नलिखित शुल्क अदा किए बगैर द्वितीय अनुसूची के भाग II में श्रेणी 'ख' के रूप में निर्दिष्ट स्मारकों में प्रवेश नहीं कर सकते :-

(i) भारत के नागरिकों तथा सार्क देशों (अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका) के पर्यटकों, बिमस्टैक देशों के पर्यटकों (बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाइलैंड) और भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 20/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 25/- रु. प्रति व्यक्ति

(ii) अन्य (उपर्युक्त (i) में उल्लिखित देशों के अलावा सभी देशों के नागरिकों के लिए) प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 250/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 300/- रु. प्रति व्यक्ति

(iii) अन्य (उपर्युक्त (ii) में किए गए उल्लेख के अनुसार जो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक हों) के लिए प्रभारित शुल्क निम्नानुसार होगा :

(क) नकद रहित भुगतान के लिए : 350/- रु. प्रति व्यक्ति

(ख) नकद भुगतान के लिए : 400/- रु. प्रति व्यक्ति

बशर्ते कि, कोई भी पुरातत्व अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई अन्य अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों, राजकीय अतिथि और ऐसे प्रतिनिधिमंडलों अथवा अतिथियों के साथ आए व्यक्तियों को ऐसे शुल्क के भुगतान से मुक्त कर सकता है ;

बशर्ते कि महानिदेशक आदेश द्वारा निदेश दें कि ऐसे अवसरों पर और आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए संरक्षित स्मारक अथवा उसके किसी भाग में प्रवेश हेतु कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 9/3/2012-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

फुट नोट : प्रधान नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :-

1. संख्या का.आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
2. संख्या सा.का.नि. 663 (अ) दिनांक 1 मई, 1967
3. संख्या का.आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
4. संख्या सा.का.नि. 90 (अ) दिनांक 30 जनवरी, 1991
5. संख्या सा.का.नि. 306 (अ) दिनांक 10 जुलाई, 1996
6. संख्या सा.का.नि. 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
7. संख्या सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
8. संख्या सा.का.नि. 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
9. संख्या का.आ. 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
10. संख्या सा.का.नि. 688 (अ) दिनांक 24 सितम्बर, 2001
11. संख्या सा.का.नि. 373 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
12. संख्या सा.का.नि. 112 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008
13. संख्या सा.का.नि. 164 (अ) दिनांक 5 मार्च, 2008
14. संख्या सा.का.नि. 436 (अ) दिनांक 3 जून, 2008
15. संख्या सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012
16. संख्या सा.का.नि. 391 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2016
17. संख्या सा.का.नि. 1539 (अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2017
18. संख्या सा.का.नि. 98 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2018
19. संख्या सा.का.नि. 726 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2018
20. संख्या सा.का.नि. 879 (अ) दिनांक 13 सितंबर, 2018

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2018

G.S.R. 1171(E).—Where as the draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of the Section 38 of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 13th September, 2018, vide notification of the Government of India in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India number S.O. 879 (E), dated 14th September, 2018, for information of all persons affected thereby and notice was given that said draft rules shall come into force after the expiry of 45 days from the date on which the copies of Official Gazette of these draft rules are made available to the public and where as the said Gazette was placed in the public domain accordingly on the 14th September, 2018;

And whereas the objections / suggestions received from public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:-

RULES

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Entrance fee: – No person above the age of fifteen years shall enter into a protected monument or part thereof –

(a) specified as Category 'A' monuments in Part I of the Second Schedule except on payment of fees as under :-

(i) Citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and Overseas Citizens of India, fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment …….. Rs.35/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.40/- per head:

Provided that for Red Fort in Delhi, the fees shall be Rs.35/- per head for cashless payment and Rs.50/- per head for cash payment.

(ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above), fees shall be charged as under:–

(a) For cashless payment …….. Rs.550/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.600/- per head.

(iii) Others (Nationals as mentioned in (ii) above, who are desirous of availing additional facilities as specified by the Director General, Archaeological Survey of India, by orders from time to time), fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment …….. Rs.800/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.850/- per head.

Provided that the entry fees for main mausoleum of Taj Mahal (Part of Taj Mahal) is Rs. 200/- per person per day for all categories of visitors in addition to existing entry fees for the Taj Mahal.

(b) specified as Category 'B' monuments in Part II of the Second Schedule, except on payment of fees as under:–

(i) Citizens of India and visitors from SAARC countries (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka), visitors from BIMSTEC Countries (Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand), and Overseas Citizens of India, fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment …….. Rs.20/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.25/- per head.

(ii) Others (all Nationals other than from countries mentioned in (i) above), fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment …….. Rs.250/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.300/- per head.

(iii) Others (as mentioned in (ii) above, who are desirous of availing additional facilities as specified by the Director General, Archaeological Survey of India, by orders from time to time), fees shall be charged as under:-

(a) For cashless payment …….. Rs.350/- per head.

(b) For cash payment …….. Rs.400/- per head. ".

Provided further that an archaeological officer, or any officer of the Archaeological Survey of India authorized by him in this behalf may exempt, members of delegations sponsored by the Central Government or a State Government, State Guest and persons accompanying such delegations or guest, from the payment of such fee:

Provided also that the Director-General may, by order, direct that, on such occasions and for such periods as may be specified in the order, no fee shall be charged for entry into a protected monument or part thereof.".

[F.No.9/3/2012-M]

USHA SHARMA, Director General

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) vide notification number S.O. 2036, dated the 15th October, 1966 and subsequently amended vide the following notifications:-

(i) S.O. 3520 dated the 20th November, 1966,

(i) GS.R. 663, dated the 1st May, 1967,

(ii) S.O. 935, dated the 16th February, 1971,

(iii) GS.R. 90, dated the 30th January, 1991,

(iv) GS.R. 306, dated the 10th July, 1996,

(v) GS.R. 799(E), dated the 17th October, 2000,

(vi) GS.R. 800(E), dated the 17th October, 2000,

(vii) G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000,

(viii) S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001,

(ix) GS.R. 688(E), dated the 24th September, 2001,

(x) GS.R. 372(E), dated the 30th April, 2003,

(xi) GS.R. 37(E), dated the 15th January, 2008,

(xii) GS.R. 631(E), dated the 13th August, 2012,

(xiii) GS.R. 391 (E) dated the 31st March, 2016, and

(xiv) G.S.R. 726 (E), dated the 30th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.12.08 13:47:51 +05'30'